बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

सं0 सं0– ज्ञापांक–03 / स्था0रा0से0 (प्रशिक्षण)–20 / 2026– (3) / रा0, पटना–15, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय :– **नवनियुक्त राजस्व अधिकारियों के सांस्थिक आवासीय प्रशिक्षण (कुल–225 राजस्व अधिकारी) पर हुए व्यय के भुगतान के निमित वित्तीय वर्ष–2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबध व्यय अन्तर्गत विपत्र कोड–40–2029001040001 राजस्व प्रशासन पर व्यय अंतर्गत 2003 (प्रशिक्षण व्यय) मद में उपबंधित राशि में से बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, गया (बिपार्ड, गया) को 5,81,98,500 / – (पाँच करोड़ एकासी लाख अनठानबे हजार पाँच सौ रूपये) मात्र की भुगतान की स्वीकृति।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

2. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026–27 में मुख्य शीर्ष–2029–भू–राजस्व, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–104 सरकारी सम्पदाओं का प्रबन्ध, उपशीर्ष–0001–राजस्व प्रशासन पर व्यय मांग संख्या–40 विपत्र कोड–40–2029001040001 के अन्तर्गत विषय शीर्ष–2003 प्रशिक्षण व्यय मद से विकलनीय होगा।

3. वरीय सहायक निदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, ब्रहमयोनीपर्वत कुशडीहरा, गया जी के पत्रांक–5219, दिनांक–14.10.2026 द्वारा नवनियुक्त राजस्व अधिकारियों (कुल–225) के सांस्थिक आवासीय प्रशिक्षण पर हुए व्यय के भुगतान 5,81,98,500 / – (पाँच करोड़ एकासी लाख अनठानबे हजार पाँच सौ रूपये) मात्र का विपत्र उपलब्ध कराया गया है। उक्त राशि का भुगतान इस मद से विकलनीय होगा।

4. विपत्र की राशि 5,81,98,500 / – (पाँच करोड़ एकासी लाख अनठानबे हजार पाँच सौ रूपये) मात्र की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति इस मद से दी जाती है, जो वर्ष 2026–27 में मुख्य शीर्ष–2029–भू–राजस्व, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–104 सरकारी सम्पदाओं का प्रबन्ध, उपशीर्ष–0001–राजस्व प्रशासन पर व्यय मांग संख्या–40 विपत्र कोड–40–2029001040001 के अन्तर्गत विषय शीर्ष–2003 प्रशिक्षण व्यय मद में आवंटन हेतु उपलब्ध राशि के अन्तर्गत है।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से सी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से की जाएगी एवं बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान को BANDHAN BANK, Swarajpuri Road Branch, Gaya के खाता सं0–**50220029265768,** IFSC-BDBL0001543 में अंतरित की जाएगी।

6. राशि की निकासी क्रम में वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं0–2561 वि0(2), दिनांक–17.04.1998 एंव समय–समय पर एतद्संबंधी निर्गत परिपत्रों / आदेशों / निदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि का विचलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।

8. प्रारूप में वित्तीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –
(अविनाश कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–03/स्था0रा0से0 (प्रशिक्षण)–20/2026– (3)/रा0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि :– वरीय सहायक निदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, ब्रहमयोनीपर्वत कुशडीहरा, गया (पत्रांक–5219, दिनांक–14.10.2026 के प्रसंग में)/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/विभागीय प्रशाखा–05 'बजट शाखा' (आवंटन निर्गत करने हेतु)/विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अविनाश कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–03/स्था0रा0से0 (प्रशिक्षण)–20/2026–1716 (3)/रा0, पटना–15, दिनांक–06/11/26

प्रतिलिपि :–आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

06/11/26
(अविनाश कुमार)
सरकार के उप सचिव